

बिहार सरकार, शिक्षा विभाग ।

अधिसूचना

संख्या 7 / वि० 3-80 / 2011 513.....

दिनांक 13/05/2015.....

भारत-संविधान के अनुच्छेद 162 एवं 243, बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 47 सपठित धारा 146, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 46, 47 सपठित धारा 419 तथा बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 38 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य-सरकार, राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों (सरकारी सहायता प्राप्त एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों सहित) में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के नियोजन के लिए अधिसूचित नियोजन नियमावली, 2006 एवं तत्पश्चात् अधिसूचित नियोजन नियमावलियों के अधीन पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों द्वारा नियत वेतन पर नियोजित शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के नियोजन सम्बन्धी शिकायतों तथा अपील के निष्पादन एवं उनकी सेवा सम्बन्धी शिकायतों के निपटारा तथा राज्य में संचालित गैर सरकारी एवं गैर अनुदानित कोटि के प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों तथा विद्यालय प्रबंधन के बीच के विवादों से सम्बन्धित अपीलों के निष्पादन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है :-

बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारी-शिकायत निवारण नियमावली, 2015

भाग -1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।- (1) यह नियमावली " बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारी शिकायत निवारण नियमावली 2015 " कही जा सकेगी।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषाएं ।- इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ के विरुद्ध कोई बात न हो-
 - (i) "प्रारंभिक विद्यालय" से अभिप्रेत है, जैसे राजकीय/राजकीयकृत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय, (राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एवं अल्पसंख्यक विद्यालय इसमें शामिल हैं) जिसमें कक्षा पाँच अथवा कक्षा आठ तक की पढ़ाई होती है ;
 - (ii) "माध्यमिक विद्यालय" से अभिप्रेत है, राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट/ अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय जिसमें कक्षा 10 तक की पढ़ाई होती है ;

Signature

- (iii) "उच्च माध्यमिक विद्यालय" से अभिप्रेत है, राजकीय/राजकीयकृत उच्च विद्यालय /प्रोजेक्ट/अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय जिसमें कक्षा-12 तक की पढ़ाई होती है ;
- (iv) "अल्पसंख्यक विद्यालय" से अभिप्रेत है वह विद्यालय, जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 31 के खंड (1) में परिकल्पित भाषाई अथवा धार्मिक अल्पसंख्यक द्वारा शासित हो एवं जो सरकार से अनुदान प्राप्त करता हो ;
- (v) "नियोजित शिक्षक" से अभिप्रेत है, नियोजन नियमावली 2006 के अनुसार तथा इसके बाद पश्चात्वती नियमावली के अधीन राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षक ;
- (vi) "नियोजित कर्मी" से अभिप्रेत है, नियोजन नियमावली के अनुसार नियोजित प्रारंभिक/माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्ष, लिपिक, आदेशपाल एवं अन्य कर्मी ;
- (vii) "गैर सरकारी एवं गैर अनुदानित" विद्यालयों से अभिप्रेत है, राज्य के अन्दर सोसाइटी अथवा ट्रस्ट द्वारा संचालित गैर सरकारी एवं गैर अनुदानित प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय ;
- (viii) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार-सरकार;
- (ix) "विभाग" से अभिप्रेत है शिक्षा विभाग;
- (x) "नियोजन नियमावली" से अभिप्रेत है, प्रारंभिक विद्यालयों से उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तक के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के नियोजन हेतु अधिसूचित नियोजन नियमावली ;
- (xi) "अपीलीय प्राधिकार" से अभिप्रेत है जिला स्तर पर गठित "जिला अपीलीय प्राधिकार" एवं राज्य स्तर पर गठित "राज्य अपीलीय प्राधिकार" ;
- (xii) "जिला अपीलीय प्राधिकार" से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन जिला स्तर पर गठित "जिला अपीलीय प्राधिकार";
- (xiii) "राज्य अपीलीय प्राधिकार से अभिप्रेत है, जिला अपीलीय प्राधिकार के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई हेतु इस नियमावली के अधीन राज्य स्तर पर गठित "राज्य अपीलीय प्राधिकार" ;

अध्याय - 2

3. **अपीलीय प्राधिकार का गठन।-** (1) इस नियमावली द्वारा अपीलीय प्राधिकारों को प्रदत्त अधिकारिता शक्तियों एवं अधिकारों के प्रयोग हेतु, राज्य सरकार प्रत्येक जिला में एक दो सदस्यीय जिला अपीलीय प्राधिकार का गठन करेगी तथा समय-समय पर, **जिला अपीलीय प्राधिकार** के पीठासीन पदाधिकारियों के बीच कार्यक्षेत्र का आवंटन भी कर सकेगी।

(2) इस नियमावली के द्वारा जिला अपीलीय प्राधिकारों को प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों एवं अधिकारों के अन्तर्गत उनके द्वारा पारित निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने हेतु राज्य सरकार एक या अधिक राज्य अपीलीय प्राधिकार का गठन करेगी तथा समय-समय पर उनके बीच कार्यक्षेत्र का आवंटन कर सकेगी।

4. **अपीलीय प्राधिकार की संरचना।— (1)** प्रत्येक जिला अपीलीय प्राधिकार केवल दो व्यक्तियों को मिलाकर (उसके बाद पीठासीन पदाधिकारी के रूप में निर्देशित) गठित होगा जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। एक पीठासीन पदाधिकारी बिहार न्यायिक सेवा के कार्यरत/सेवानिवृत्त पदाधिकारी तथा दूसरे पीठासीन पदाधिकारी बिहार प्रशासनिक सेवा अथवा बिहार शिक्षा सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी होंगे।

(2) उप धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी एक अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी को किसी दूसरे अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी के कृत्यों के निर्वहन हेतु प्राधिकृत कर सकेगी।

(3) जिला अपीलीय प्राधिकार के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने हेतु, राज्य स्तर पर राज्य अपीलीय प्राधिकार केवल दो व्यक्तियों को मिलाकर (इसके बाद प्रत्येक अलग-अलग अध्यक्ष के रूप में निर्देशित) गठित होगा, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। एक अध्यक्ष माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति होंगे तथा दूसरे अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रधान सचिव के स्तर के सेवानिवृत्त पदाधिकारी होंगे। राज्य सरकार किसी एक राज्य अपीलीय प्राधिकार के अध्यक्ष को किसी दूसरे राज्य अपीलीय प्राधिकार के अध्यक्ष के कृत्यों के निर्वहन हेतु प्राधिकृत कर सकेगी।

5. **पीठासीन पदाधिकारी/अध्यक्ष के रूप में मनोनयन हेतु अर्हता।— (1)** किसी जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी के रूप में मनोनयन/नियुक्ति के लिए वही पदाधिकारी अर्हित होगा जो -

(क) जिला न्यायाधीश अथवा अपर जिला न्यायाधीश हो अथवा रहा हो, अथवा होने हेतु अर्हित हो - अथवा

(ख) बिहार प्रशासनिक सेवा अथवा बिहार शिक्षा सेवा के अधीन समूह-'क' के पद पर कम-से-कम दो वर्ष रहा हो;

(2) किसी राज्य अपीलीय प्राधिकार के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए वही पदाधिकारी अर्हित होगा जो -

(क) माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के रूप में रहा हो अथवा

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा को पदाधिकारी रहा हो एवं प्रधान सचिव/प्रधान सचिव के स्तर के पद पर कम से कम दो वर्ष तक रहा हो।

6. **पीठासीन पदाधिकारी का कार्यकाल।—** जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी, योगदान की तिथि से पाँच वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक, दोनों में जो कम हो, के लिए

अपना पद धारित करेगा। राज्य अपीलीय प्राधिकार के अध्यक्ष योगदान की तिथि से 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक, दोनों में से जो कम हो, के लिए पद धारित करेगा।

7. **अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी/अध्यक्ष की नियुक्ति।** - (1) जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी की नियुक्ति शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा पर, मंत्री शिक्षा विभाग के अनुमोदन से की जाएगी।

(2) राज्य अपीलीय प्राधिकार के अध्यक्ष की नियुक्ति शिक्षा विभाग की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन से की जाएगी।

8. **पदत्याग एवं पद से हटाया जाना।**— (1) जिला अपीलीय प्राधिकार का पीठासीन पदाधिकारी राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्तलिखित सूचना द्वारा, अपना पद त्याग कर सकेगा :

परन्तु जिला अपीलीय प्राधिकार का पीठासीन पदाधिकारी जब तक राज्य सरकार द्वारा उसे अपना पद छोड़ने की अनुमति न दी जाय अथवा ऐसी सूचना की प्राप्ति की तिथि के तीन माह की समाप्ति न हो जाय अथवा उसके उत्तराधिकारी के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति पदभार ग्रहण न कर ले अथवा जब तक उसका कार्यकाल समाप्त न हो जाय, जो भी पहले हो, तबतक वह अपने पद पर बना रहेगा।

(2) राज्य सरकार जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी को, दुर्व्यवहार, कार्य-असमर्थता, कृत्यों के निर्वहन में शिथिलता, सरकार द्वारा नियत नियमों के विरुद्ध आदेश पारित करने, धारित करते हुए वेतन पर अन्य नियोजन में होने के कारण पद से हटा सकेगी। किन्तु पद से हटाने के पूर्व उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

(3) राज्य सरकार को राज्य अपीलीय प्राधिकार के अध्यक्ष स्वलिखित सूचना द्वारा पद त्याग कर सकेगा। कार्य-असमर्थता, कृत्यों के निर्वहन में शिथिलता, दुर्व्यवहार के कारण सरकार द्वारा उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए पद से हटाया जा सकेगा।

9. **अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी का वेतन भत्ता एवं सेवा शर्तें।**— (1) जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी प्रत्येक माह वही वेतन की राशि प्राप्त करेंगे जो, समय-समय पर, वित्त विभाग द्वारा विनिश्चित की जाय। इसके अतिरिक्त उन्हें आवास एवं वाहन भत्ता के रूप में एकमुश्त 10000/- (दस हजार) रु० नियत रकम प्रतिमाह प्राप्त होगी।

(2) अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी वर्ष में 16 दिनों के आकस्मिक अवकाश एवं 20 दिनों के विशेष अवकाश के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त वर्ष में 60 दिनों तक बिना वेतन का असाधारण अवकाश की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

(3) राज्य अपीलीय प्राधिकार के अध्यक्ष के वेतन भत्ता एवं सेवा शर्तें।— अध्यक्ष को वेतन के रूप में वही राशि प्राप्त होगी जो, समय-समय पर, वित्त विभाग द्वारा विनिश्चित की जाय। इसके अतिरिक्त, उन्हें सेवा निवृत्ति के समय के भत्ता एवं अन्य सुविधायें अनुमान्य होगी।

10. **अपीलीय प्राधिकार का स्टाफ।-** (1) राज्य सरकार अपीलीय प्राधिकार के कृत्यों के निर्वहन में सहयोग हेतु अपेक्षित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रकृति एवं कोटि अवधारित करेगी और ऐसे पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी की सेवा जिन्हें उचित समझे, जिला अपीलीय प्राधिकार को उपलब्ध करायेगी।
- (2) अपीलीय प्राधिकार के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन-भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो विभाग द्वारा, समय-समय पर, विहित किये जायें।
- (3) अपीलीय प्राधिकार के अधिकारी एवं कर्मचारी यथास्थिति, पीठासीन पदाधिकारी के सामान्य अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे।
11. **अपीलीय प्राधिकार के कार्यालय संचालन हेतु राशि।-** राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष अपीलीय प्राधिकार को आवश्यक राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
12. **बैंक खाता एवं संचालन।-** अपीलीय प्राधिकार का अपना बैंक खाता एवं मुहर होगा। बैंक खाता का संचालन सरकार के निदेश के अनुसार किया जायेगा।

भाग - 3

13. **जिला अपीलीय प्राधिकार के कृत्य एवं शक्तियाँ।-** (1) जिला अपीलीय प्राधिकार राज्य के राजकीय एवं राजकीयकृत प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों (सरकारी सहायता प्राप्त एवं अल्पसंख्यक सहित) में शिक्षकों पुस्तकालयाध्यक्षों, सरकार के अन्य नियोजित कृत्यकारियों एवं कर्मियों के नियोजन से सम्बन्धित परिवादों/अपीलों की सुनवाई करेगा और निबटारा करेगा। यह उनके सेवा शर्तों से संबंधित परिवादों/अपीलों की भी सुनवाई करेगा तथा उनका निपटारा करेगा। इसके अतिरिक्त राज्य में संचालित गैर सरकारी एवं गैर अनुदानित प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों तथा विद्यालय के प्रबंधन के बीच के विवादों से सम्बन्धित अपीलों का निबटारा करेगा।
- (2) जिला अपीलीय प्राधिकार का कार्यालय परिवादों/अपीलों से सम्बन्धित सभी प्रकार के दस्तावेजों का संधारण समुचित रूप से करेगा।
- (3) सभी प्रकार की परिवादों/अपील उसके उत्पन्न होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर जिला अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर किये जायेंगे। 30 दिनों के बाद प्राप्त परिवाद/अपील के दायर करने में हुए विलंब को युक्तियुक्त आधार पर अपीलीय प्राधिकार क्षान्त कर सकेगा।
- (4) जिला अपीलीय प्राधिकार को, किसी मामले की जाँच पड़ताल और किसी मामले की सुनवाई करते समय, वही शक्तियाँ होंगी जो दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय, निम्नलिखित विषयों के संबंध में, सिविल न्यायालय में निहित हो यथा :-

a y m l

- (क) व्यक्तियों को सम्मन और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने और उन्हें शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने ;
- (ख) दस्तावेजों की खोज और निरीक्षण की अपेक्षा करने ;
- (ग) शपथ पर साक्ष्य लेने ;
- (घ) साक्षियों या दस्तावेजों का परीक्षण हेतु सम्मन जारी करने ।

(5) अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी प्रत्येक परिवाद/विवाद की जाँच पड़ताल एवं सुनवाई करेगा तथा आदेश पारित करेगा।

(6) अपीलीय प्राधिकार सम्बन्धित जिला के शिक्षा विभाग के किसी पदाधिकारी या किसी अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी से मामले की जाँच पड़ताल करवा सकेगा।

(7) अपीलीय प्राधिकार सामान्यतः अपील/परिवाद प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के भीतर किसी अपील/परिवाद/विवाद का निपटारा करेगा।

14. राज्य अपीलीय प्राधिकार के कृत्य एवं शक्तियों ।- (1) राज्य अपीलीय प्राधिकार द्वारा

जिला अपीलीय प्राधिकार के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई एवं निपटारा किया जाएगा।

(2) सभी प्रकार के अपील जिला अपीलीय प्राधिकार द्वारा आदेशों की तिथि से 30 दिनों के भीतर राज्य अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर की जायेगी किन्तु अपीलीय प्राधिकार को, युक्तियुक्त कारणों से, अपील दायर करने में विलम्ब को क्षान्त करने की शक्ति होगी।

(3) राज्य जिला अपीलीय प्राधिकार को किसी मामले की जाँच पड़ताल और किसी मामले की सुनवाई करते समय वही शक्तियाँ होंगी जो दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय, निम्नलिखित विषयों के संबंध में, सिविल न्यायालय में निहित हो यथा

:-

(क) व्यक्तियों को सम्मन और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने और उन्हें शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने ;

(ख) दस्तावेजों की खोज और निरीक्षण की अपेक्षा करने ;

(ग) शपथ पर साक्ष्य लेने ;

(घ) साक्षियों या दस्तावेजों का परीक्षण हेतु सम्मन जारी करने।

15. सजा देने की शक्ति ।- (1) अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने

हेतु दिये गये निदेश तथा परिवादों/अपीलों के मामलों में पारित आदेशों में दिये गये निदेशों का संबंधित प्राधिकारियों तथा नियोजन इकाईयों द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

(2) अपीलीय प्राधिकार अपने निदेशों एवं आदेशों का अनुपालन न किये जाने की दशा में संज्ञान ले सकेगा। पक्षकार भी जिला अपीलीय प्राधिकार के आदेश के अननुपालन के संबंध में मामला दायर कर सकेगा।

ajind

- (3) अपीलीय प्राधिकार संबंधित पक्षकारों को नोटिस तामील करेगा और निदेशों / आदेशों के अनुपालन हेतु युक्तियुक्त समय देगा।
- (4) आदेश/निदेशों के अन अनुपालन की दशा में, अपीलीय प्राधिकार उत्तरदायी पक्षकार पर 50000 (पचास हजार) रु० तक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा। इसके अतिरिक्त, अपीलीय प्राधिकार सम्बन्धित विभाग को बिहार सेवा संहिता के प्रावधानों तथा पंचायती राज अधिनियम एवं नगरपालिका अधिनियम एवं अन्य नियमावली के प्रावधानों के अधीन, दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही और अन्य आवश्यक कार्रवाई के लिए भी अनुशंसा कर सकेगा। संबंधित पक्षकार को उस पर कोई शास्ति अधिरोपित किये जाने के पूर्व उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा। शास्ति की राशि विभाग द्वारा संसूचित/विनिर्दिष्ट शीर्ष में ट्रेजरी में जमा की जायगी। शास्ति की राशि लोक माँग के रूप में वसूलनीय होगी।
16. **अपीलीय प्राधिकार के समक्ष कार्यवाही का न्यायिक कार्यवाही होना।**— अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सभी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धाराएँ 193, 219 एवं 228 के अर्थात्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।
17. **अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी/अध्यक्ष तथा स्टाफ का लोकसेवक होना।**— इस नियमावली के अधीन उपबंधित अपीलीय प्राधिकार के अध्यक्ष/पीठासीन पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा-21 के अन्तर्गत लोकसेवक समझे जायेंगे।
18. **सदभावपूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण।**— अध्यक्ष/पीठासीन पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, किसी बात के लिए, जो सदभावपूर्वक किया गया हो या इस नियमावली या उसके अधीन बने किसी नियम या आदेश के अनुसरण में किये जाने के आशय से हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं होगी।
19. **अनुश्रवण एवं प्रतिवेदन।**— (1) अपीलीय प्राधिकार अपने आदेशों के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करेगा।
 (2) प्राप्त परिवाद/अपीलों की संख्या तथा निपटाये गये परिवाद/अपीलों की संख्या के सम्बन्ध में मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन शिक्षा विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा।
 (3) अपीलीय प्राधिकार द्वारा दी गयी सजा का ब्यौरा भी विभाग को प्रतिवेदित किया जायेगा।
20. **कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।**— इस नियमावली के प्रावधानों को लागू करने में होनेवाली कठिनाईयों को राज्य सरकार, सम्यक् विचारण के बाद, अधिसूचना द्वारा, दूर कर सकेगी।


Rayal

21. प्राधिकार का विघटन ।- अपीलीय प्राधिकार के विघटन की स्थिति में, इसकी अस्तियाँ एवं दायित्व शिक्षा विभाग में निहित हो जायेंगे।

22. निरसन एवं व्यावृत्ति ।- (1) इस नियमावली की अधिसूचना की तिथि से "बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारी शिकायत निवारण नियमावली 2013" तथा उसके अधीन निर्गत आदेश/निदेश एवं प्रावधान एतद् द्वारा निरसित माने जायेंगे।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त नियमावली के अधीन अपीलीय प्राधिकार को प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में इसके अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई मानी जायेगी मानो उस दिन यह नियमवाली लागू थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गयी।


बिहार राज्यपाल के आदेश से


(आर० के० महाजन)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :- 7/वि० 3-80/2011 ...5/13...

पटना, दिनांक :- 13/05/05.....


प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग/प्रधान सचिव नगर विकास विभाग/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना/सभी निदेशक शिक्षा विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी उप विकास आयुक्त/सभी नगर आयुक्त नगर निगम/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी कार्यपालक पदाधिकारी नगर निकाय/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :- 7/वि० 3-80/2011 ...5/13...

पटना, दिनांक :- 13/05/05.....


प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री शिक्षा विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :- 7/वि० 3-80/2011 ...5/13...

पटना, दिनांक :- 13/05/05.....

प्रतिलिपि :- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय ई-गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी० डी० के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 1000 प्रतियाँ कार्यालय कार्य हेतु उपलब्ध करायी जाए।


प्रधान सचिव।